कार्यालय– प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी।

निविदा प्रपत्र – 2019–20

दूध आूपर्ति निविदा

टैक्नीकल विड (निविदा फार्म)

निविदा संख्या / दिनांक–	3879 / निविदा / सूचना / 2019–20 दिनांक–30.07.2019
निविदा का नाम	दूध की आपूर्ति
फर्म / ठेकेदार का नाम	
निविदा शुल्क–	रू. 1000.00 + 18 % जी.एस.टी. सहित **(जो की प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी के पक्ष में देय हो एवं राष्ट्रीयकृत बैक से निर्गत किया गया हो, तकनीकी विड के साथ संलग्न करना अनिर्वाय होगा।)**
धरोहर / जमानत धनराशि	रू. 10000–00 **(जो की प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी के पक्ष में देय हो एवं राष्ट्रीयकृत बैक से निर्गत किया गया हो, तकनीकी विड के साथ संलग्न करना अनिर्वाय होगा।)**
निविदा खुलने का दिनांक / समय	
निविदा खुलने का स्थान	प्रधानाचार्य, म0ल0बा0मेडिकल कालेज,झाँसी।

आवश्यक शर्ते

1– निविदादाता को निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि अनिर्वाय रूप से जमा करनी होगी।
2– निविदादाता को फर्म का आयकर रिटर्न एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3– निविदादाता फर्म का किसी राजकीय संस्थान में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
4– आपूर्तिकर्ता फर्म को ब्लेक लिस्ट न होने, संलग्नक प्रपत्रो के जाली न होना एवं फर्म ने यहॉ से न्यूनतम दरें और कहीं कोट नही की हैं का रू. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
5– निविदादाता / आपूर्तिकर्ता फर्म को मूल निर्माता या अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6– निविदादाता / आपूर्तिकर्ता फर्म का खाद्य पंजीयन / दूध का लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
7– जो फर्म निविदा से सम्बन्धित नही होगी या टैक्नीकल बिड की शर्तो को पूरा नही करेगी उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
8– बजट के अभाव में अथवा अन्य किसी भी कारण से यदि फर्म को भुगतान में विलम्ब होता है तो भी फर्म द्वारा आपूर्ति बन्द नही की जायेगी, एवं फर्म द्वारा, भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के व्याज की मॉग नही की जायेगी।
9– निविदादायक की निविदा बिना कारण बताये समस्त एवं आशिक रूप से निरस्त करने तथा कार्य की मात्रा में आवश्यकतानुसार घटाने बढाने का अधिकार अधोस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा निविदादायक द्वारा किसी भी न्यायालय मे ंचुनौती या वाद मान्य नही होगा। विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।
10– स्वीकृत निविदादायक को रू. 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध भरना होगा, जो निविदा का ही भाग समझा जायेगा।
11– निविदादाता द्वारा समिति के समक्ष, आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का नमूना (सैम्पल) प्रस्तुत करना होगा।
12– निविदादाता फर्म की स्वीकृत दरो से नियमानुसार आयकर / जी.एस.टी. / अन्य टैक्स की कटौती की जायेगी। इसके साथ ही यदि सरकार (केन्द्र / राज्य) द्वारा वर्तमान में प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के टैक्स में बढोत्तरी या अन्य कोई टैक्स लागू किया जाता है तो उसे स्वयं फर्म / निविदादाता को वहन करना होगा।
13– निविदा की स्वीकृत दरें दिनांक– 31.03.2020 अथवा अगले निविदा स्वीकृत होने तक के लिये मान्य होगी।
14– निविदाता को आपूर्ति / कार्य के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। आपूर्ति / कार्य का देयक तीन प्रतियो मे ंदेना होगा जिसे यथा–शीध्र भुगतान कर दिया जोयेगा, वशर्ते कि बजट उपलब्ध रहे। भुगतान में बिलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति / कार्य को नही रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो, उसे अनुबन्ध का उल्लंधन माना जायेगा। इसके साथ ही भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के व्याज की मॉग, आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा नही की जायेगी।

क्रमशः पेज 02 पर..................

15— वेबसाइट पर उलपब्ध निविदा फार्म तथा कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म मे ंयदि कोई भिन्नता प्राप्त होती है तो कार्यालय में उपलब्ध निविदा फार्म (नियम एवं शर्ते) विधिक रूप से मान्य होगी।

16— निविदादाता, निविदा में अथवा निविदा के साथ अपनी कोई शर्त या विशिष्टता नही जोडेगा। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी। निविदादाता को निविदा के नियमो ंएवं शर्तो को मान्य करना होगा।

17— निविदा के नियमों एव शर्तो के अनुरूप निविदा न होने की स्थिति में निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

18— निविदादाता दर अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानान्तरित/सबलेट नही कर सकेगा।

19— मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित/मा0 न्यायालय में विचाराधीन अपराधिक मामले अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी या इस सम्बन्ध में किसी अन्य माध्यम से, विभाग को सूचना प्राप्त होती है कि निविदादाता का कोई मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है या निविदादाता का कोई अपराधिक रिकार्ड है तो तत्काल निविदादाता की निविदा को निरस्त कर, विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

20— कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कॉउन्सिल मे ंपंजीकृत हो उसे निविदा प्रकिया मे ंभाग लेने की अनुमति नही होगी।

21— ऐसी फर्म जो किसी शासकीय /स्वायत्तशासी संस्था द्वारा दंडित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी। ऐसी फर्मे जो मा0 न्यायालय द्वारा दंडित हो एवं मा0 न्यायालय में फर्म के विरूद्ध मामले लम्बित हो, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।

22— प्रधानाचार्य म0ल0बा0मेडिकल कालेज, झॉसी को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा के आंशिक या पूर्ण अथवा समस्त निविदाओ को निरस्त करने का अधिकार होगा।

23— निविदादाता को इसके अतिरिक्त निविदा फार्म में दर्शायी गयी नियम व शर्तो को भी पूरा करना अनिर्वाय होगा।

24— अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झॉसी का निर्णय अन्तिम होगा जो सभी को मान्य होगा। कोई भी न्यायिक विवाद केवल झॉसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकेगा।

(साधना कौशिक)
प्रधानाचार्य।

घोषणा – पत्र

(रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पर)

कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना सं.–..दिनांक–.................... में वार्णित नियम व शर्तो के अन्तर्गत में श्री...निवास.. निविदा का नाम–.. का कार्य करने हेतु दिनांक– 31.03.2020 या अलगे वित्तीय वर्ष के टेण्डर स्वीकृत होने तक के लिये अपनी दरें प्रेषित कर रहा हूॅ। मैने धरोहर की राशि रू...............................एन.एस.सी. /राष्ट्रीकृत बैंक से बनी एफ.डी.आर. (डी.डी. बैकर चैक पे आर्डर मान्य नही) ....है । जो प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, झॉसी के नाम बंधक है एवं टेण्डर क्रय का डी0डी0...................................... दिनांक–................................. संलग्र कर रहा हूॅ। मेरे द्वारा नियम व शर्तो को पढ लिया गया हैं। मुझे टेण्डर नोटिस व उसके नियम व शर्ते मंजूर है। यदि मै निर्धारित समय के अन्दर निविदा की कार्यवाही इकरारनामा पूर्ण करने में असफल रहॅू तो मेरी धरोहर राशि को जब्त करके सरकारी कोष में जमा करा दिया जाये। निविदा में जो दरें दी गयी है वह अधिकतम खुदरा मुल्य से अधिक व किसी अनय सरकारी संस्थान में दी गयी दरों से अधिक नही हैं यदि इससे अधिक पायी जाती है तो मूल्य की क्षतिपूर्ति के लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इन नियम व शर्तो के विरूद्ध मै किसी भी कार्यवाही करने के लिये अधिकारी नही रहॅूगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झॉसी का फैसला मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता :–

निविदादाता का नाम :–

पत्र व्यवहार का पता :–

दिनांक :–